| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|

भूमि का खाता विभाजन किया जाए,
वादिया - श्री ग्राम मेलू
खसरा नम्बर 71 का खाता विभाजन
किया जाकर 9-12 हैक्टेयर भूमि का
बराबर बराबर हिस्सा
किया जाता है।
तदनुसार पत्रावली डिग्री
जारी हो।
वाद पत्रावली फैसला
शुमार होकर हाफ जाब्ता
दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दि. 11/9/17 को
सुनाया गया।

(जयपाल)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर